भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2358
उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026
12 श्रावण, 1948 (शक)

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में खेल सुविधाएं

2358. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में भारतीय खेल प्राधिकरण एस. ए. आई का कोई प्रशिक्षण केंद्र या अन्य खेल सुविधा संचालित है और यदि हां, तो उपलब्ध खेल सुविधाओं की जानकारी के साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या दोनों उपर्युक्त जिलों के बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन पर्याप्त खेल अवसंरचना और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन जिलों में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने या मौजूदा खेल अवसंरचना को मजबूत करने की आवश्यकता का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेलों के संवर्धन एवं विकास, जिसमें खेल सुविधाओं का सृजन भी शामिल है, की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अपनी विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है।

खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में निम्नलिखित खेल सुविधाएँ संचालित हैं:

श्री गंगानगर:

क्र. सं.	खेलो इंडिया केंद्र	विधा
1	डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम स्टेडियम	एथलेटिक्स
2	महाराजा गंगा सिंह, श्री गंगानगर	एथलेटिक्स
3	नोज़गे पब्लिक स्कूल	हैंडबॉल
		टेबल टेनिस
4	श्री गुरुनानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, राजस्थान	कबड्डी
5	श्रीगुरुनानक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल	वॉलीबॉल
खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमी (केआईएए)		
1	नोज़गे पब्लिक स्कूल, श्रीगंगानगर, राजस्थान (बालक एवं बालिकाएँ)	टेबल टेनिस

हनुमानगढ़:

क्र. सं.	खेलो इंडिया केंद्र	विधा
1	राजीव गांधी स्टेडियम, हनुमानगढ़ जंक्शन	एथलेटिक्स
2	सरस्वती बालिका विद्यालय	बास्केटबॉल

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से समय-समय पर प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता, पात्रता तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जाता है।
